Jinkushal Industries
Machinery . Mining . Logistics

To,
Sr. General Manager,
Listing Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001.

To,
The Manager,
Corporate Relationship Department,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Scrip Code: 544547

Trading Symbol: JKIPL

Sub: Notice published by way of an advertisement in respect of 19th Annual General Meeting (AGM) of the Company.

Ref: Regulation 44 and 47 read with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to regulation 44 and 47 read with regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisements published in "Amrut Sandesh," (Hindi edition) and the "Business Line." (English edition) on Monday, 20th July, 2026 informing about 19th Annual General Meeting of the Company and e-voting.

For Jinkushal Industries Limited
(Formerly Known as Jinkushal Industries Private Limited)

Manish Tarachand Pande
Digitally signed by Manish Tarachand Pande
Date: 2026.07.20 13:27:27 +05'30'

Manish Tarachand Pande
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: A48185
Date: 20.07.2026

गुरनूर बराड़ को आईसीसी ने दी सजा

एजेंसी । लंदन

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान भारत के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने एक बड़ी गलती कर दी थी। इसके लिए उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सजा दी है और वॉर्निंग भी मिली है। आईसीसी ने अपना फैसला कार्डिफ में खेले जाने वाले दूसरे वनडे से ठीक पहले सुनाया है। बराड़ ने पहले वनडे में अपने शुरुआती स्पेल में प्रभावी नहीं दिखे थे। उनके खिलाफ बेन डकेट ने तगड़ा प्रहार किया था। हालांकि, दूसरे स्पेल में बराड़ ने वापसी की और 3 विकेट हासिल किए। इस मैच में डकेट के साथ कुछ ऐसा किया, जिसकी वजह से उन्हें आईसीसी की तरफ से सजा मिली है। अगर वे तीन बार ये गलती और करते हैं, तो उनके ऊपर बैन लग सकता है। बराड़ के ऊपर आईसीसी के अनुच्छेद 2.9 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। ये नियम मैच के दौरान किसी खिलाड़ी या उसके आसपास खतरनाक तरीके से गेंद फेंकने से जुड़ा है। इस नियम के तहत अगर प्लेयर को दोषी पाया जाता है, तो उन्हें एक डिमेरिट प्वाइंट दिया जाता है। ये घटना इंग्लैंड की पारी के 8वें ओवर में घटी। गेंदबाजी के दौरान बराड़ ने बॉल को उठाकर बेन डकेट की तरफ फेंका था। मैच रेफरी और अंपायर ने इसे खतरनाक माना था। मैदानी अंपायर कुमार धर्मसेना और माइक बर्न्स, तीसरे अंपायर सैम नोगास्की और चौथे अंपायर रसेल वरिन ने उनके खिलाफ ये आरोप लगाया था। लेवल 1 के उल्लंघन पर खिलाड़ी को कम से कम फटकार और अधिक से अधिक मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट प्वाइंट्स दिए जाते हैं।

खिलाड़ी को झेलना पड़ सकता है बैन

बराड़ को एक डिमेरिट प्वाइंट दिया गया है। ये 24 महीने तक उस खिलाड़ी के नाम रहता है और उसके बाद हटा दिया जाता है। अगर इन 24 महीने के भीतर खिलाड़ी चार या फिर उससे अधिक डिमेरिट प्वाइंट हासिल करता है, तो उसके ऊपर मैच बैन लग सकता है। प्लेयर के ऊपर एक टेस्ट, दो वनडे या दो टी20 मैच, जो भी पहले हो। ऐसे में बराड़ को आगे से अपनी इस गलती के लिए ध्यान रखना होगा।

कार्यालय, संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-कोरबा

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा सामान्य आवास अंतर्गत गोकुल नगर खरमोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.) में निर्मित भवनों में से भवन क्र. EWS-5/I (SF) श्रीमती अंजुम खान पति स्व. मसीउद्दीन खान को आबंटित किया गया है। उक्त भवन की श्री कमलेश कर्ष पिता श्री श्रीराम कर्ष को विक्रय करने हेतु भवन विक्रय अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

किसी भी व्यक्ति शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था इत्यादि को उक्त भवन के विक्रय के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अंदर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करें। 15 दिनों के अंदर आपत्ति/दावा प्राप्त नहीं होने पर विक्रय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा। बाद मे आपत्ति/दावा मान्य नहीं की जावेगी।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल
प्रक्षेत्र कोरबा (छ.ग.)

रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलों के बीच दिनेश कार्तिक का बड़ा बयान, बोले- हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता

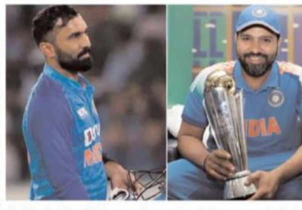

एजेंसी । नई दिल्ली

रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलों के बीच भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने हैरान करने वाला बयान दिया है। कार्तिक का कहना है कि चयनकर्ताओं को रोहित के साथ साफ-साफ बात करनी चाहिए। उनका कहना है कि परियों की हर कहानी का अच्छा अंत नहीं होता। गौरतलब हो कि रोहित वर्ल्ड कप 2027 में खेलना चाहते हैं और वनडे विश्व कप जीतना उनका सपना है। रोहित ने कई मौकों पर कहा है कि वे वनडे वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के बाद जैसे ही रोहित फ्लॉप हुए, उनको लेकर खबरें सामने आई कि उनका लॉर्ड्स में खेला जाने वाला मैच करियर का आखिरी मुकाबला साबित हो सकता है। इसके बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस अफवाह बताया। हालांकि, अभी भी हिटमैन के विश्व कप में खेलने को लेकर संदेह है और कार्तिक ने प्रतिक्रिया दी है। विज़डन के साथ पॉडकास्ट में बात करते हुए कार्तिक ने कहा, मुझे लगता है कि इसके लिए स्पष्ट बातचीत बहुत जरूरी है, जो आसान नहीं है। आपके पास दूसरे खिलाड़ी हैं, जो हर गेम में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। वे जिस भी टूर्नामेंट में जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उन्हें बाहर करना आसान नहीं होगा। ये सबकुछ होने के बाद कुछ सीनियर्स इसे एक तरह से खत्म करना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि उन्हें एक मौका दिया जाए क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ हासिल किया है।

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने आगे कहा, ये भी कहना सही है कि ये सब हासिल करना आसान काम नहीं है। कभी-कभी परियों की कहानियों का अंत अच्छा नहीं होता है। भारत में इस समय प्लेइंग-11 में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की संख्या बहुत है। क्रिकेट खेलने वाले देशों में ये सबसे अधिक है। ऐसे में हर खिलाड़ी पर दबाव होता है। देश के लिए खेलना बहुत मुश्किल है। एक सेलेक्टर के तौर पर आपका काम आसान नहीं होने वाला है।

रोहित का इंग्लैंड दौरे पर खराब प्रदर्शन

रोहित का इंग्लैंड के दौरे पर खराब प्रदर्शन देखने को मिला। पहले दो वनडे मैच में उनके बल्ले से बड़ा स्कोर नहीं आया। दूसरे मैच में वे संघर्ष करते हुए दिखे, जहां 47 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली। इसके बाद उनको लेकर खबरें सामने आने लगी थी।

आईसीसी के नए वनडे वर्ल्ड कप फॉर्मेट पर बवाल एसोसिएट देशों और खिलाड़ियों ने जताया कड़ा विरोध

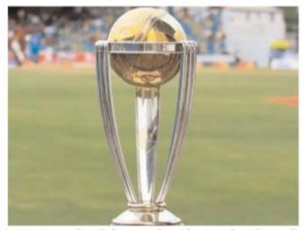

एजेंसी । नई दिल्ली

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा 2027 वनडे विश्व कप के नए प्रारूप (फॉर्मेट) की घोषणा के बाद एसोसिएट देशों और विश्व क्रिकेटर्स एसोसिएशन (डब्ल्यूसीए) ने तीखी नाराजगी जताई है। खिलाड़ियों के वैश्विक संगठन डब्ल्यूसीए का कहना है कि नया फॉर्मेट पहले से तय अवसरों को मूल रूप से बदल देता है और इससे क्रिकेट के वैश्विक विस्तार पर भी सवाल खड़े होते हैं।

2027 वनडे विश्व कप का नया फॉर्मेट क्या है?

आईसीसी ने 2027 वनडे विश्व कप में कुल 14 टीमों को बनाए रखा है। यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा।

नए प्रारूप के तहत रैंकिंग में 12वें, 13वें और 14वें स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच 'सुपर सीरीज' खेली जाएगी।

इस सुपर सीरीज की विजेता टीम राउंड-2 में पहुंचेगी।

राउंड-2 में कुल 12 टीमें दो समूहों (प्रत्येक में 6 टीमें) में विभाजित होंगी।

इस चरण में 30 मुकाबले खेले जाएंगे।

दोनों ग्रुपों की शीर्ष तीन-तीन टीमें और दोनों समूहों में सातवें स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ टीम 'सुपर-7' चरण में पहुंचेगी।

सुपर-7 में 21 मैच होंगे, जिसके बाद शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी।

सेमीफाइनल में पहले स्थान की टीम चौथे स्थान की टीम से और दूसरे स्थान की टीम तीसरे स्थान की टीम से भिड़ेगी।

डब्ल्यूसीए ने उठाए पारदर्शिता और सलाह-मशविरे पर सवाल

700 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने कहा कि आईसीसी ने इतने बड़े बदलाव से पहले खिलाड़ियों और अन्य हितधारकों से पर्याप्त चर्चा नहीं की। डब्ल्यूसीए के अनुसार, खेल की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं के प्रारूप में बदलाव पारदर्शी प्रक्रिया और व्यापक सलाह-मशविरे के बाद ही किए जाने चाहिए। संगठन ने कहा कि खिलाड़ियों और उनके प्रतिनिधियों को इस निर्णय प्रक्रिया में सार्थक रूप से शामिल नहीं किया गया।

एसोसिएट देशों के कप्तानों ने भी जताई नाराजगी

इरास्मस ने कहा कि कई देशों के खिलाड़ियों के लिए वनडे विश्व कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि उनके करियर का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। उन्होंने कहा कि क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एसोसिएट देशों को विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का वास्तविक मौका दे। एडवर्ड्स ने कहा कि आईसीसी वैश्विक स्तर पर क्रिकेट को बढ़ाने की बात करता है, लेकिन ऐसे फैसले एसोसिएट देशों के लिए शीर्ष टीमों के खिलाफ खेलने के अवसर कम कर देते हैं। उनके मुताबिक यही मुकाबले छोटे देशों को आगे बढ़ने और नई पीढ़ी को प्रेरित करने में मदद करते हैं।

रिची बेरिंगटन (स्कॉटलैंड कप्तान)

स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन ने कहा कि खिलाड़ियों के करियर को प्रभावित करने वाले फैसलों पर उनसे सार्थक चर्चा होनी चाहिए। उनका मानना है कि अलग-अलग पक्षों की राय शामिल होने से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं।

डेरिल मिचेल ने भी किया समर्थन

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज और दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने कहा कि दुनिया भर के खिलाड़ियों और देशों को क्रिकेट के सबसे बड़े मंच तक पहुंचने और वहां प्रतिस्पर्धा करने के लिए निष्पक्ष और लगातार अवसर मिलने चाहिए।

बढ़ सकता है विवाद

आईसीसी के नए फॉर्मेट को लेकर एसोसिएट देशों और खिलाड़ियों की ओर से उठे सवालों ने इस मुद्दे को विवाद का रूप दे दिया है। आलोचकों का कहना है कि यदि क्रिकेट को वास्तव में वैश्विक खेल बनाना है, तो छोटे देशों के लिए विश्व कप में पहुंचने और बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के अवसर बढ़ाने होंगे, न कि उन्हें सीमित करना होगा।

दुष्कर्म-ब्लैकमेल मामले में क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर हाई कोर्ट सख्त, गिरफ्तारी के दिए आदेश

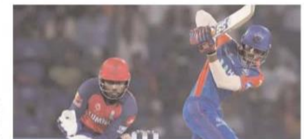

एजेंसी । कोलकाता

डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही एक छात्रा से दुष्कर्म व उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर ब्लैकमेल करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक पोरेल समेत दो लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपितों के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी तत्काल जब्त किए जाएं ताकि कथित आपत्तिजनक तस्वीरें और प्रसारित न हो सकें। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत ने हुगली के मगरा थाने की पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश दिया। मालूम हो कि अभिषेक आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं था। छात्रा का आरोप है कि प्रेम के नाम पर उसका यौन उत्पीड़न किया गया। उसके निजी क्षणों की तस्वीरें गुप्त रूप से लेकर इंटरनेट के जरिए प्रसारित करने और उन्हें आधार बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें अब भी आरोपितों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मौजूद हैं। इस संबंध में मगरा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हैं, लेकिन अब तक संबंधित उपकरण बरामद नहीं किए जा सके हैं। छात्रा के अधिवक्ता रणदेव सेनगुप्ता व आकाश गंगोपाध्याय ने अदालत को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद नहीं होने से तस्वीरों के और अधिक फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि केवल उनकी मुवक्किल नहीं, बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी प्रेमजाल में फंसाकर उनकी निजी तस्वीरें लेकर बाद में ब्लैकमेल करने के आरोप इन दोनों पर हैं।

11 अगस्त को अगली सुनवाई

इस संबंध में अदालत में साक्ष्य भी पेश किए गए। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि अदालत के आदेश के पालन में अब तक उठाए गए सभी कदमों की विस्तृत रिपोर्ट आगामी 11 अगस्त तक पेश की जाए।

न्यायालय तहसीलदार हरदीबाजार, जिला-कोरबा (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.अ 6 अ/2025-26
ग्राम-मुड़ापार प.ह.नं. 17
सत्यनारायण पिता स्व. सुंदर लाल.....आवेदक
जाति ब्राम्हण साकिन चैनपुर
तहसील हरदीबाजार, जिला कोरबा (छ.ग.)
विरुद्ध
1. कोमल प्रसाद पिता स्व.दया राम जाति ब्राम्हण..............अनावेदकगण
2. बद्री प्रसाद पिता स्व. जगमोहन जाति ब्राम्हण, 3. रुद्रनारायण पिता स्व. चंद्रिका प्रसाद जाति ब्राम्हण, 4. बिंदुलता पिता स्व. चंद्रिका प्रसाद जाति ब्राम्हण, 5. गीतादेवी पिता स्व. चंद्रिका प्रसाद जाति ब्राम्हण, 6. कीर्तिलता पिता स्व. चंद्रिका प्रसाद जाति ब्राम्हण, 7. रंभा देवी पिता स्व.चंद्रिका प्रसाद जाति ब्राम्हण, 8. देवी प्रसाद माता स्व. सुशीला पिता स्व.कामता प्रसाद जाति ब्राम्हण, 9. भोला प्रसाद माता स्व.सुशीला कामता प्रसाद जाति ब्राम्हण

क्रमांक 01 से 07 निवासी ग्राम मुड़ापार तहसील हरदीबाजार जिला-कोरबा (छ.ग.) क्र. 08 से 09 निवासी ग्राम भलपहरी तहसील हरदीबाजार, जिला कोरबा (छ.ग.)

आवेदक सत्यनारायण पिता स्व. सुंदर लाल जाति ब्राम्हण साकिन चैनपुर तहसील हरदीबाजार जिला कोरबा विरुद्ध कोमल प्रसाद जाति ब्राम्हण साकिन मुड़ापार/भलपहरी तहसील हरदीबाजार में आवेदन प्रस्तुत है कि तहसीलदार हरदीबाजार के रा.प्र.क्र.128/अ27/1999-2000 दिनांक 19/01/2001 पक्षकार सत्यनारायण विरुद्ध कोमल प्रसाद वगैरह में आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित आवेदन पेश कर लेख किया है कि ग्राम मुड़ापार स्थित भूमि ख.नं. 834/2 रकबा 0.62 ए. में अनावेदक क्र. 01 से 08 कोमल प्रसाद पिता स्व. दयाराम बद्रीप्रसाद पिता स्व. जगमोहन, रुद्रनारायण पिता स्व. चंद्रिका प्रसाद, बिंदुलता पिता स्व. चंद्रिका प्रसाद, गीता देवी पिता स्व. चंद्रिका प्रसाद, कीर्तिलता पिता स्व. चंद्रिका प्रसाद, रंभादेवी पिता स्व. चंद्रिका प्रसाद, लखेश्वर पिता स्व. लोकनाथ का नाम विलोपित कर राजस्व अभिलेख दुरस्त किये जाने आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद द्वारा अनावेदकगणो को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 29/07/2026 नियत है। अतः उक्त दिनांक को उपस्थित होवें तथा अपना पक्ष रखे। नियत दिनांक को आपकी अनुपस्थित रहने से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

जारी दिनांक 08/07/2026

(मुहर) तहसीलदार
हरदीबाजार
जिला-कोरबा (छ.ग.)

न्यायालय कार्यपालिका दण्डाधिकारी दीपका, जिला कोरबा (छ.ग.)
ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अनिल प्रसाद पिता दरोगा प्रसाद जाति कुशवाहा निवासी दीपका तहसील दीपका जिला कोरबा (छ.ग.) के द्वारा अपने पुत्री अर्पिता कुमारी का जन्म दिनांक 12/02/2009 स्थान दीपका तहसील दीपका में घर में जन्म होने के कारण पंजीयन करने हेतु स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के अंतर्गत निर्देश देने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, अनुपलब्धता एवं अन्य दस्तावेज सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

उक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति दावा प्रस्तुत करना हो तो वे दिनांक 31/07/2026 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है, नियत तिथि के बाद में प्रस्तुत आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अतः आज दिनांक 15/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुद्रा से ईश्तहार जारी किया गया।

(मुहर) कार्यपालिका दण्डाधिकारी
दीपका, जिला कोरबा (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.202509050400003
अ-21 (2)/2024-25 ग्राम कटघोरा, प.ह.नं. 10
तहसील-कटघोरा

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण दिनेश कुमार जैन एवं अन्य 02, सभी निवासी कटघोरा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.) के द्वारा ग्राम कटघोरा, प.ह.नं. 10 स्थित अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की परिवर्तित भूमि ख.नं. 117/1 रकबा 0.020 है. भूमि को प्रस्तावित क्रेता श्रीमती संतोष दुबे पति विजय दुबे, जाति-ब्राम्हण, निवासी ग्राम कटघोरा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.) के पास छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6-क) के तहत विक्रय किये जाने की हेतु आवेदन पत्र माननीय न्यायालय कलेक्टर कोरबा के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर मूल प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महोदय कटघोरा के माध्यम से जांच एवं प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त प्रकरण में आवेदकगण द्वारा बाद भूमि ख.नं. 117/1 के रकबा में टंकण त्रुटि होने से मूल आवेदन पत्र में अंकित रकबा 0.020 है. को संशोधित करते हुये रकबा 0.081 है. किये जाने का निवेदन किया गया है, जो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महोदय कटघोरा के माध्यम से इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा आपत्ति हो तो अपना दावा/आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 22/07/2026 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं, नियत तिथि एवं समय के पश्चात किये जाने दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 06/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा लगाकर जारी किया गया।

(मुहर) तहसीलदार कटघोरा
जिला कोरबा (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पटेल अश्विन भीमजी पिता भीमजी भाई पटेल निवासी 17/10 वार्ड नं. 15 इलाहाबाद बैंक के पास कुम्हारी जिला दुर्ग (छ.ग.) 490042 यह शपथ करता हूं कि मैने अपना पुराना नाम को त्याग कर नया नाम अश्विन पटेल पिता भीमजी भाई पटेल रख लिया हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम अश्विन पटेल पिता भीमजी भाई पटेल से ही जाना पहचाना जावे।

अश्विन पटेल
17/10 वार्ड नं. 15
इलाहाबाद बैंक के पास कुम्हारी
जिला दुर्ग (छ.ग.) 490042

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं भीमजी पटेल पिता मनजी भाई पटेल निवासी 17/10 वार्ड नं. 15 इलाहाबाद बैंक के पास कुम्हारी जिला दुर्ग (छ.ग.) 490042 यह शपथ करता हूं कि मैने अपना पुराना नाम को त्याग कर नया नाम भीमजी भाई पटेल पिता मनजी भाई पटेल रख लिया हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम भीमजी भाई पटेल पिता मनजी भाई पटेल से ही जाना पहचाना जावे।

भीमजी भाई पटेल
17/10 वार्ड नं. 15
इलाहाबाद बैंक के पास कुम्हारी
जिला दुर्ग (छ.ग.) 490042

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं निसिम बानु रोकड़िया / नसीम बानो / नसीम रोकड़िया पिता उस्मान भाई निवासी 11 महालक्ष्मी इन्क्लेव वार्ड नं. 10 धमतरी (छ.ग.) 493773 यह शपथ करती हूं कि मैने अपना पुराना नाम को त्याग कर नया नाम नसीम बानो रोकड़िया पति मोहम्मद दिलावर रोकड़िया रख ली हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम नसीम बानो रोकड़िया पति मोहम्मद दिलावर रोकड़िया से ही जाना पहचाना जावे।

नसीम बानो रोकड़िया
11 महालक्ष्मी इन्क्लेव वार्ड नं. 10 धमतरी (छ.ग.) 493773

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मोहम्मद दिलावर रोकड़िया / दिलावर रोकड़िया / मोहम्मद दिलावर रोकड़िया (MOHMMED DILAWAR ROKADIYA / DILAWAR ROKADIYA / MD DILAWAR ROKADIYA S/O ABDUL SATTAR ROKADIYA) पिता अब्दुल सत्तार रोकड़िया निवासी 11 महालक्ष्मी इन्क्लेव वार्ड नं. 10 धमतरी (छ.ग.) 493773 यह शपथ करता हूं कि मैने अपना पुराना नाम को त्याग कर नया नाम मोहम्मद दिलावर रोकड़िया (MOHAMMED DILAWAR ROKADIYA) पिता अब्दुल सत्तार रोकड़िया रख लिया हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम नसीम मोहम्मद दिलावर रोकड़िया (MOHAMMED DILAWAR ROKADIYA) पिता अब्दुल सत्तार रोकड़िया से ही जाना पहचाना जावे।

मोहम्मद दिलावर रोकड़िया
(MOHAMMED DILAWAR ROKADIYA)
11 महालक्ष्मी इन्क्लेव वार्ड नं. 10 धमतरी (छ.ग.) 493773

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं भूखन लाल (BHOOKHAN LAL) पिता रामदयाल करसायल निवासी तेलासी पलारी बलौदा बाजार (छ.ग.) यह शपथ करता हूं कि मैने अपना पुराना नाम को त्याग कर नया नाम भूखन लाल करसायल (BHUKHAN LAL KARSAYAL) पिता रामदयाल करसायल रख लिया हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम भूखन लाल करसायल (BHUKHAN LAL KARSAYAL) पिता रामदयाल करसायल पिता रामदयाल करसयाल से ही जाना पहचाना जावे।

भूखन लाल करसायल
(BHUKHAN LAL KARSAYAL)
तेलासी पलारी
बलौदा बाजार (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नारायण प्रसाद पिता भूखन लाल करसायल निवासी मिनीमाता चौक तेलासी बलौदा बाजार (छ.ग.) 493229 यह शपथ करता हूं कि मैने अपना पुराना नाम को त्याग कर नया नाम नारायण प्रसाद करसायल पिता भूखन लाल करसायल रख लिया हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम नारायण प्रसाद करसायल पिता भूखन लाल करसायल से ही जाना पहचाना जावे।

नारायण प्रसाद करसायल
मिनीमाता चौक तेलासी बलौदा
बाजार (छ.ग.) 493229

‘Textiles Min may open fresh PLI application window as relaxed norms draw interest’

RECOVERY PATH. Progress was initially slow due to the pandemic, says Textile Minister; inclusion of cotton apparel is ruled out for now

Amiti Sen
Shishir Sinha
New Delhi

The Textiles Ministry is planning to invite a fresh round of applications under its ₹10,683 crore Production Linked Incentive (PLI) scheme focussing on Man-Made Fibre (MMF) apparel, MMF fabrics and technical textiles to enable the industry to benefit from the relaxed investment and turnover criteria, Textiles Minister Giriraj Singh said.

“We have liberalised the investment criteria, reducing the investment thresholds to ₹150 crore and ₹100 crore. We are already seeing strong participation from Madhya Pradesh and southern India. If required, we may open another window to encourage more applications,” Singh told *businessline*.

The scheme has so far seen three rounds of applications, with the last round closing in March this year. The government has approved 22 new applicants under round three of the PLI scheme for textiles. With this latest round of approvals, a total of 96 companies have now been selected with a cumulative committed investment of ₹12,822.67 crore and a projected turnover of ₹58,294.18 crore.

GROWTH INCENTIVE. The PLI scheme for textiles was launched in 2021 with an outlay of ₹10,683 crore REUTERS

The PLI scheme for textiles was launched in 2021 with an outlay of ₹10,683 crore, aimed at boosting domestic manufacturing of MMF apparel, MMF fabrics, and technical textiles, which are segments where India has historically lagged behind competitors such as China, Vietnam, and Bangladesh, despite being one of the world’s largest producers of cotton and natural fibres. Actual disbursements under the scheme have remained limited so far, as most approved units are still in the process of setting up operations or ramping up production. “

Disbursed provisional incentive of ₹54 crore to two applicants who completed their threshold investment and sales in FY25,” according to the 2025 year-end document of the Textiles Ministry.

Officials attribute the slow pace partly to the pandemic-induced disruptions in the initial years of the scheme, and partly to the typical two-year gestation period needed for such large manufacturing projects to become fully operational. “Although we launched the PLI scheme in 2021, progress was initially slowed by the pandemic. It has since picked up pace, and we expect the registered units to be fully operational by 2027,” Singh said.

COTTON EXCLUDED

The earlier plan of widening the scheme to include apparels and garments made of cotton and other materials, however, seems to have been dropped by the Textiles Ministry. “The government’s focus is on promoting the man-made and technical textiles sector. That is where the huge untapped opportunity is,” a source said.

‘SEZ reforms panel to submit report soon’

Press Trust of India
New Delhi

A 17-member committee to suggest larger reforms in the policy for special economic zones (SEZs) will soon submit its report to the commerce ministry, an official said.

The report, which will be submitted to Commerce Secretary Rajesh Agarwal, may include suggestions to revamp these zones to boost domestic manufacturing, exports and cut imports.

The committee has held meetings with stakeholders on the issues about these zones. The committee has focused on issues such as harmonisation of various prevalent export promotion schemes, including SEZs, export-oriented units (EoUs), MOOWR (Manufacturing and Other Operations in Warehouse), Advance Authorisation, EPCG (Export Promotion for Capital Goods), and Duty-Free Import Authorisation. “The report will be submitted soon,” the official said. The terms of reference of the committee included identification of operational, procedural, and regulatory challenges faced by SEZ developers and units; reviewing the fiscal impact of SEZs and related reforms on revenue, including foregone duties and taxes; and assessing the cost-benefit outcomes in terms of exports, investment and economic activity.

It will recommend short-, medium- and long-term policy, legal and procedural reforms, including SEZ Act/Rules amendments, and an implementation roadmap with timeline

‘Upcoming FTAs can create opportunities for Indian exporters’

bl.interview

Amiti Sen
Shishir Sinha
New Delhi

The India-UK free trade agreement (FTA) has opened duty-free access for Indian textile and apparel exports to one of their key overseas markets, with more trade pacts expected to expand market access further.

Textiles Minister Giriraj Singh discusses the opportunities arising from India’s growing FTA network, the sector’s resilience amid global trade uncertainties, the spread of textile exports across 548 districts, and the government’s efforts to strengthen export facilitation and improve utilisation of free trade agreements.

Edited Excerpts:

The India-UK FTA came into effect on July 15. Textiles, apparel and clothing are among the sectors expected to benefit the most. What impact do you expect the agreement to have on the sector and its exports?

The biggest advantage of the FTAs that India is signing now, including the one with the UK, is the significant expansion of market access for Indian exporters. Earlier, our FTA network was relatively limited.

We had 10 FTAs covering 19 countries, with some agreements, particularly in Asia, covering multiple countries under a single pact.

As a result, our exporters had access to a much smaller set of markets.

Now, things are moving much faster and wider. The agreement with the UK has come into force, negotiations with the European Union and New Zealand are almost ready to be implemented, and more agreements are in the pipeline. In the coming years, our FTA network is expected to cover 56 countries.

The global textile import market is worth around $900 billion, and India’s share is only about 4 per cent.

Once the pending FTAs, including the one with the European Union, are concluded, these 56 countries will account for nearly 60 per cent of the global textile import market. That will create a significant opportunity for Indian exporters.

Even as India signs FTAs with developed economies, exporters face tariff uncertainty in the US market due to levies and ongoing investigations. How do

> The agreement with the UK has come into force; negotiations with the European Union and New Zealand are almost ready to be implemented, and more agreements are in the pipeline
>
> GIRIRAJ SINGH
> Textiles Minister

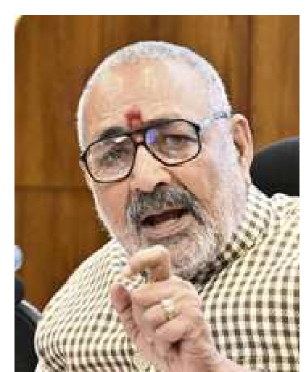

you see this affecting the sector, and what is the government’s strategy?

The US textile market itself is worth around $90-100 billion.

Before 2024, India’s textile exports to the US were around $10.9 billion. Despite the recent developments, we have managed to retain about 80 per cent competitiveness in that market, and we will continue to compete there.

At the same time, we focused on market diversification. We identified about 40 new markets and pursued them through our embassies under the Prime Minister’s guidance.

There were predictions that India’s textile exports would decline by about $11 billion, but that did not happen. There was a decline, but the shortfall was around $2 billion.

Necessity is the mother of invention, and we delivered.

What is the government doing to broaden textile export base and encourage more manufacturers to enter export markets?

India’s domestic market is very strong.

Our manufacturers have historically shown less interest in exports because of fears — a container getting returned, or uncertainty over whether quality compliance will hold up.

In the domestic market, there’s no such compliance pressure. Everything just moves.

But here’s the thing: across India, of all the registered exporters across all sectors combined, a substantial number are from our sector. Something special happened in our sector this time — exports took place from 548 districts.

Whether an individual export was worth ₹1 lakh or ₹1 billion, and whether it was handicraft, handloom, or garments, the encouraging fact is that the geographic spread reached 548 districts.

We currently have close to 60-70 centres under the Textile Department, the Textile Committee, and the Textile Commissioner. Right now, we’re developing six of these into dedicated Export Facilitation Centres — guiding new exporters on registration, documentation, and other basics. Going forward, I’ll be meeting the Chief Ministers of all States to highlight these 548 districts — asking them to have their District Magistrates reach out, recognise these exporters, boost their morale, and work out which schemes can offer them incentives.

India has historically struggled with low utilisation of its FTAs. Will the proposed Export Facilitation Centres help exporters better understand the procedures such as obtaining Certificates of Origin, and enable them to make greater use of these agreements?

Exactly. That is why we are setting them up as Export Facilitation Centres.

They will guide exporters on the procedures and documentation required for exports, including issues related to FTAs. We have also directed all 11 Export Promotion Councils to conduct awareness programmes and actively bring smaller and regional businesses into the export ecosystem.

Afghanistan for stronger India ties and easier business access

Press Trust of India
Kabul

Afghanistan’s top trading body has called for expanding trade and investment ties with India, stressing the need to ease business procedures, remove administrative barriers and facilitate the issuance of business visas.

The proposals were discussed in Kabul during a meeting between Afghanistan Chamber of Commerce and Investment (ACCI) Chairman Sayed Karim Hashemi and Indian Ambassador to Afghanistan Yatin Patel.

The two sides held talks “in the framework of a strategic and diplomatic dialogue”, according to a statement released by the trading body.

The meeting comes amid a sharp decline in Afghanistan’s transit trade with neighbouring Pakistan, which fell to $367 million in FY26 from about $5 billion in FY21, as Kabul increasingly shifted to alternative trade routes, including through Iran. India has been strengthening connectivity with Afghanistan through Iran’s Chabahar port, which provides direct access to the landlocked country while bypassing Pakistan, which does not allow overland transit of Indian goods to Afghanistan.

India-Afghanistan bilateral trade stood at $907.85 million in 2025-26.

India has also been stepping up engagement with Kabul, with Afghan Agriculture Minister Mawlawi Ataullah Omari visiting New Delhi earlier this month.

According to the ACCI statement, Hashemi reaffirmed the trading body’s commitment to strengthening long-term economic cooperation with India and highlighted the importance of facilitating trade procedures and institutional development in the private sector.

India, Spain to fast-track UPI-Bizum talks

Press Trust of India
New Delhi

India and Spain have agreed to fast-track discussions on enabling interoperability between Unified Payments Interface (UPI) and Spain’s Bizum digital payments platform, the Commerce Ministry said on Sunday.

The two countries have also discussed ways to strengthen investment facilitation, improve mobility of professionals and promote joint investments in Latin America. These issues came up for discussion during the recent visit of Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to Spain.

“Both sides also agreed to advance technical discussions for interoperability between India’s UPI and Spain’s Bizum digital payments platform,” the ministry said.

Jinkushal Industries

JINKUSHAL INDUSTRIES LIMITED
Office Address - H. No. 260, Ward 42, Near Chhattisgarh Club, Opp. CM House, Civil Lines, Raipur, Chhattisgarh, Pin- 492001
Email: info@jkipl.in, Website: www.jkipl.in

NOTICE TO MEMBERS OF JINKUSHAL INDUSTRIES LIMITED REGARDING 19TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND E-VOTING INFORMATION:

1. Notice is hereby given that the **19th Annual General Meeting ("AGM")** of **Jinkushal Industries Limited** (Formerly Known as Jinkushal Industries Private Limited) ("the Company") will be held on Wednesday, 12th August, 2026 at Vimtara, Shanti Nagar, Indravati Colony, Raipur, Chhattisgarh 492001, India, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR Regulations"), read with the General Circulars / Notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "applicable circulars"), to transact the business as set out in the Notice calling the AGM dated 18th July, 2026.

2. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) the Company is offering remote e-voting facility to all the respected members to enable them to cast their valuable vote on the item of business to be transacted at the meeting.

3. Notice of EGM has been sent on 18th July, 2026 only through electronic mode to those Shareholders whose email ids are registered with the Company/ Depositories/ Depository Participants/ RTA and appearing as on Friday, 10th July, 2026.

4. Shareholders may note that Notice of AGM along with instructions for remote e-voting are also be available on the Company's website www.jkipl.in/investors and on the website of stock exchange at **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com**

5. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., **Wednesday 05th August, 2026** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, and e-voting at AGM.

6. The Company is providing its members with the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means ("e-voting"). The Company has engaged the services of Bigshare Services Private Limited to provide the remote e-voting and e-voting facility. Members may cast their votes remotely through the electronic voting system available on the website of Bigshare Services Private Limited, the agency providing the remote e-voting and e-voting facility, at **ivote.bigshareonline.com.**

7. The facility of e-voting shall be made available at the Meeting, and members attending the Meeting who have not cast their vote through remote e-voting shall be entitled to cast their vote at the Meeting through e-voting.

8. A member may exercise their voting right through only one mode of voting, i.e., either by remote e-voting or by e-voting at the meeting. If a member cast votes through both modes, the vote cast through remote e-voting shall prevail, and the vote cast through e-voting at the meeting shall be treated as invalid. Members who have cast their vote through remote e-voting or e-voting may attend the meeting; however, they shall not be entitled to vote again at the meeting.

9. Information and instructions including details of user-id and password relating to voting have been sent to the members through email. Members who do not receive email whose email addresses are not registered with the Company/RTA, may generate login credentials by following the instructions given in the 'Notes' forming part of the Notice convening the AGM.

a. The remote e-voting facility will be available during the following period:

Commencement of remote e-voting	Saturday 08th August, 2026 9:00 AM
End of remote e-voting	Tuesday 11th August, 2026 till 5:00 PM

b. The remote e-voting module shall be disabled by Big Share Services Private Limited for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e., Wednesday 05th August, 2026 may cast their vote electronically.

10. Manner of registering/updating email id with the Company/ Depositories:

a. For Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP).

b. For Individual Demat shareholders-Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Big Share Services Private Limited through an email **ivote@bigshareonline.com** or at the toll-free no.: **08069219070**

Annual Report for the FY 2025-26 accessed Below QR

For Jinkushal Industries Limited
Sd/- Manish Tarachand Pande
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. A48185

Place: Raipur
Date: 19.07.2026